न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **नम्बर** 2024/304

1. अशोक पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास, तहसील नीमराना जिला अलवर।

–अपीलान्ट्

बनाम

1. भीम सिंह पुत्र मोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास, तहसील नीमराना जिहला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना के निर्णय दिनांक 05.12.2019 प्रकरण संख्या 53/2019 उनवानी भीमसिंह बनाम सरकार में पारित किया।

उपस्थित–

1. श्री अर्जुन लाल चौधरी, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक –31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर के निर्णय दिनांक 05.12.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम कें साथ दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2019 में यह निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है कि आराजी ख०नं० हाल 474/0.33, 475/0.30, 476/0.47 हैक्ट. कुल किता 3 कुले रकबा 1.10 हैक्ट. के हाल खाता सं. 145 जमाबंदी सवंत 2074–77 ग्राम कातूवास में दर्ज सभी खातेदारान के हिस्से दुरुस्त कर सम्पूर्ण खाते का इन्द्राज 'भीमसिहं पुत्र मोहनलाल हि० 3/4, गजराज अशोक पि० प्रभाती हि० 5/6162, संतोष पत्नी राजेन्द्र धर्मेन्द्र योगेन्द्र पि० राजेन्द्र मुकेश पुत्री राजेश स.भा. 5/12324, बद्रीप्रसाद ईश्वर पि० रामस्वरूप हि0 5/316 रामनिवास रामसिहं पि० मातादीन हिस्सा 5/316, नवल संजय पि० जगमाल हिस्सा 5/632, नरेश नरेन्द्र रमेश पि० रणजीत कान्ता सुमन पुत्रीयान रणजीत हिस्सा 5/632, बीरबल श्रीराम हरिसिहं जगदीश पि० जीसुख हिस्सा 5/316 अमीलाल पुत्र खेमचंद हिस्सा 5/316 लालाराम झब्बूराम गोपीराम पि० श्योनारायण रेवती अतरी पुत्रीयान श्योनारायण हि० 5/948 छीमली देवी पत्नी स्व० चिरंजी मुंशीराम सहीराम रामपाल बिरेन्द्र पि० चिरंजी गंगादेवी लाली देवी पुत्रीयान चिरंजी 5/948 कृष्ण कुमार पुत्र भोलू कृष्णा बीरमति पुत्रीयान भोलू 5/948 सुबेसिहं रामचन्द्र हजारी जसवंत पि० उमराव हिस्सा 8/65 रामकला पत्नी लालसिहं राकेश संजय पि० लालसिहं दिनेश सरोज कविता मंजू पुत्रीयान लालसिहं हिस्सा 2/65 कौम अहीर सा०देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 05.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट अशोक पुत्र प्रभाती द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना, जिला अलवर दिनांक 05.12.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.11.2019 को बगैर अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुर्तिब किये बाबत साबिक खसरा नं0 88 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा , खसरा नं0 135, खसरा नं0 157 प्रस्तुत किया। तथा उस पर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.12.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर दिनांक 05.12.2019 को एकपक्षीय रूप से प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 136 के प्रा० पत्र को निर्णित करते समय यह तथ्य नही देखा गया कि हाल रेस्पो० सं० 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथत दृष्टया ही चलने योग्य नही है वादग्रस्त भूमि सभी सह खातेदारान की सामलाती खातेदारी की आराजी है। इसलिए सभी सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही उक्त प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 को निर्णित किया जाना चाहिए था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समदा हाल रेस्पों0 1 स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी बाबत एक बंटवारे का वाद स्वय उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन है जो दिनांक 04.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें हाल रेस्पो० सं० 1 को प्रतिवादी सं० 1 है तथा उनको पूर्ण जानकारी है कि इस वादग्रस्त आराजी बाबत बंटवारे का वाद विचाराधीन है तो फिर धारा 136 के तहत प्रा० पत्र पोषणीय ही नहीं था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 05.12.2019 पारित किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही करना चाहिए था प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अन्य वाद वास्त बंटवारा हेतु विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर हाल रेस्पों० सं० 1 का प्रा० पत्र सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णित करने में घोर कानूनी त्रुटि की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहा पर नियमित वाद विचाराधीन हो वहा पर 136 की जैसी सरसरी कार्यवाही में निर्णय पारित नही किया जाना चाहिए था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही धारा 136 के प्रा० पत्र से पूर्व नियमित वाद विचाराधीन है एवं उक्त वाद में उभय पक्षकारान पक्षकार है एवं उक्त नियमित वाद भी इन्ही आराजी बाबत विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है। इस अधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2019 काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण अशोक कुमार बनाम भीमसिंह वगैरहा में दिनांक 04.04.2018 से आराजी खसरा नं0 474, 475, 476, 494 के बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये थे जो आज भी प्रभाव में है उसके पश्चात भी उन्होने हाल रेस्पो० सं 1 द्वारा धारा 136 के प्रा० पत्र पर दिनांक 05.12.2019 में दिये आदेश की पालना हेतु जो प्रा० पत्र दिया था उसको स्वीकार कर दिनांक 13.12.2019 को तहसीलदार महोदय को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामाद करने के आदेश प्रदान कर दिये।

दिनांक 21.02.2020 को जब प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बरो की नकले प्राप्त कि तो उसे जानकारी हुई कि खसरा नम्बर के हिस्सो में परिवर्तन कर दिया गया है जिसके पश्चात लॉकडाउन लग जाने के पश्चात प्रार्थी इस बाबत कोई जानकारी नही कर पाया, उसके पश्चात प्रार्थी दिनांक 30.08.2020 को जाकर अपने अधिवक्ता महोदय से

मिला तो उन्होने जानकारी करके बताया कि इस प्रकार से एकपक्षीय रूप से धारा 136 के प्रा० पत्र पर निर्णय पारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके पश्चात प्रार्थी ने उक्त पत्रावली की समस्त नकले दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त की एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक फीस खरचे का इन्तजाम कर जयपुर आकर अपने अधिवक्ता महोदय से मिला एवं उनकी विधिक राय के अनुसर अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहा प्रकरण गुणावगुण पर अच्छा हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधारो पर खारिज नही करना चाहिए प्रस्तुत प्रकरण गुणावगुण पर पूर्ण रूप से प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है एवं जानकारी के अभाव में हुई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां अधीनस्थ न्यायालय में हितबद्ध पक्षकार को, पक्षकार बनाये बगैर निर्णय पारित किया गया हो वहा पर उसके विरूद्ध धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को भी पक्षकार मुर्तित किये बगैर सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2019 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है जिसको पक्षकार मुर्तिब किये बगैर हाल अप्रार्थी सं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय रूप से प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय करवा लिया जबकि हाल अप्रार्थी सं० 1 को यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की आराजी है जिसमें सभी पक्षकारों को पक्षकार मुर्तिब करना चाहिए था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही प्रकरण का निर्णय करना चाहिए था प्रस्तुत प्रकरण में प्राथी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है क्योकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है, जिसको सुनवाई का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की अपील में सुनवाई किये जाने के आदेश पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करने की कृपा करें। अत्तः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2019 को अपास्त किये जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2019 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.02.2020 को जब प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बरों की नकलें प्राप्त कि तो उसे जानकारी हुई कि खसरा नम्बर के हिस्सो में परिवर्तन कर दिया गया है। जिसके पश्चात लॉकडाउन लग जाने के पश्चात प्रार्थी इस बाबत कोई जानकारी नही कर पाया, उसके पश्चात प्रार्थी दिनांक 30.08.2020 को जाकर अपने अधिवक्ता से मिला तो उन्होने जानकारी करके बताया कि इस प्रकार से एकपक्षीय रूप से धारा 136 के प्रा० पत्र पर निर्णय पारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसके पश्चात प्रार्थी ने उक्त पत्रावली की समस्त नकले दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त की गयी है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिनको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बगैर ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि सभी सह खातेदारान की सामलाती खातेदारी की आराजी है। सभी सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को निर्णित किया जाना चाहिए था। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर